नेपाल का भूमि सुधार कानून

768. **श्री कृपानन्द ठाकुर:** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री नेपाल के भूमि सुधार सम्बन्धी नये कानून के बारे में 7 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 764 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार द्वारा पारित भूमि सुधार सम्बन्धी नये कानून के बारे में, जिसके अन्तर्गत वहां की भूमि विदेशी के नाम पर नहीं चढ़ सकती, उत्तर इस बीच प्राप्त हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या लिखा है; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री सु० क० चागला): (क), (ख) और (ग). 7 नवंबर 1966 को उत्तर दिए जाने के बाद, विदेश मंत्रालय में तत्काल राज्य मंत्री ने नेपाल में भूमि कानून के विषय पर—जैसा कि वह वहां के रहने वाले भारतीयों पर असर डालता है—एक वक्तव्य दिया था; नेपाल में केवल वे ही ऐसे विदेशी हैं जिनसे भारत सरकार का सरोकार है। इस वक्तव्य के बाद से इस मुख्य विषय पर नेपाल के महामहिम की सरकार के साथ विचार-विमर्श होता रहा है जिसने सहानुभूतिपूर्वक इस मामले को समझा है। नागरिकता से संबद्ध मामले में नेपाल की महामहिम सरकार ने हाल ही में एक अध्यादेश जारी करके कदम उठाए हैं जिनसे भारतमूलक लोगों को नेपाली नागरिकता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। भारत सरकार इस कार्यवाही की बड़ी सराहना करती है और उसे पूरी उम्मीद है कि नेपाल की महामहिम सरकार भारतीय राष्ट्रकों की उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कार्रवाई भी करेगी जो कि पिछले सालों में नेपाल में भूमि कानून के अन्तर्गत उठ खड़ी हुई हैं।

12.10 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

ALLEGED INTERFERENCE BY UNION HOME MINISTER IN REGARD TO "GHERAOS" IN WEST BENGAL.

Shri Yash Pal Singh rose—

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने माननीय सदस्य, श्री यशपाल सिंह, को जिस अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय को उपस्थित करने की अनुमति दी है, इसी विषयक एक प्रस्ताव मैं ने भी आप के कार्यालय को भेजा था। मैंने आप के कार्यालय को कहा कि या तो मेरा नाम इस ध्यानाकर्षण-प्रस्ताव में संलग्न होना चाहिए और या मेरे नाम से वह ध्यानाकर्षण-प्रस्ताव आना चाहिए। आप के कार्यालय का कहना है कि मेरे ध्यानाकर्षण-प्रस्ताव के शब्द थे : "पश्चिमी बंगाल और दूसरे राज्यों में घेराव से उत्पन्न", जब कि प्रस्तुत ध्यानाकर्षण-प्रस्ताव के शब्द हैं : "घेराव के मामले में केन्द्रीय गृह मंत्री का कथित हस्तक्षेप। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैं ने अपने ध्यानाकर्षण-प्रस्ताव में "पश्चिमी बंगाल और दूसरे राज्यों में घेराव से उत्पन्न स्थिति" का उल्लेख किया, तो मैं उसके सम्बन्ध में भारत सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता था, न कि राज्य सरकारों की। लिहाजा या तो मेरा नाम इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में संलग्न होना चाहिए या मुझे अपना प्रस्ताव रखने की अनुमति दी जाए।

Mr. Speaker: I will look into it. Anyway the names published only will be there. I am sorry if there is a mistake, it cannot be helped now. Let us see.